न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 457 सन 2019

अनवान :–

1. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर उर्फ अमरसिह जाति जाट निवासी सोती पडिहारी (फोत)
   1/1. आत्माराम पुत्र स्व रामजीलाल जाति जाट निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर
   1/2. गुडडी पुत्री स्व रामजीलाल जाति जाट निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर
   1/3. पप्पू पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर
2. राजाराम पुत्र रामेश्वर उर्फ अमरसिह जाति जाट निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर
3. रामप्रताप पुत्र रामेश्वर उर्फ अमरसिह जाति जाट निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर
4. चेतराम पुत्र रामेश्वर उर्फ अमरसिह जाति जाट निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. गुरमुखसिह पुत्र चन्दासिह जाति जटसिख निवासी सोतीबडी पडिहारी (फोत)
2. आत्मासिह पुत्र गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी सोतीबडी पडिहारी तहसील नोहर।
3. परमात्मासिह पुत्र गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी सोतीबडी पडिहारी तहसील नोहर
4. कमीरसिह उर्फ कमेरसिह पुत्र गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी सोतीबडी पडिहारी
5. आत्मासिह उर्फ अमरसिह पुत्र सन्दरसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखूई (फोत)
   5/1. गुरनामसिह पुत्र आत्मासिह उर्फ अमरसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   5/2. गुरजन्टसिह पुत्र आत्मासिह उर्फ अमरसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   5/3. सुखदेवसिह पुत्र आत्मासिह उर्फ अमरसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   5/4. निर्मलसिह पुत्र आत्मासिह उर्फ अमरसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   5/5. गपदूरसिह पुत्र आत्मासिह उर्फ अमरसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   5/6. सरजीतकोर पुत्री आत्मासिह उर्फ अमरसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।
7. जसवन्तकौर उर्फ बलवन्तकौर पुत्री गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(फोत)
   7/1. जसवीरकौर पुत्री बलवन्तकोर उर्फ जसवन्तकोर जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   7/2. अमरजीतसिह पुत्र बलवन्तकोर उर्फ जसवन्तकोर जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   7/3. कर्मजीत कौर पुत्री बलवन्तकोर उर्फ जसवन्तकोर जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   7/4. हरजीत कौर पुत्री बलवन्तकोर उर्फ जसवन्तकोर जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
8. भरपूर कौर पुत्री गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
9. सरजीत कौर पुत्री गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द (फोत)
   9/1 अजायबसिह पुत्र सरजीतकौर पुत्री गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   9/2. बलवीरसिह पुत्र सरजीतकौर पुत्री गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   9/3. भोलासिह पुत्र सरजीतकौर पुत्री गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा
   9/4 मखनसिह पुत्र सरजीतकौर पुत्री गुरमुखसिह जाति जटसिख निवासी गुरेनखुर्द तहसील बुडलाडा जिला मानसा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण

दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 ,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, वादी
श्री सुबोध कुमार शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण
निर्णय दिनांक :- 20/05/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 ,88 के तहत वाद इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 113/108 की कुल 12.1440हैक्ट वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते मे दर्ज है जिसे वादीगण एव प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसार है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका दर्ज रहने से वादीगनण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार मुस्तरका खाते की भूमि का खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में में अलग से कायम करवाने के आदेश फरमावे ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तत्पश्चात राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव चाहा गया/

वादीगण का वाद में वादी संख्या 1 , प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,7 ,9 के देहान्त होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त होने पर उनके वारिसान पूर्व मे ही पक्षकार थे जिन्होने वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने पर प्रतिवादी संख्या 5/1 ,5/5 ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया शेष प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई

तहसीलदार राजस्व नोहर ने न्यायायल के आदेश दिनांक 20.06.2018 की अनुपालना में अपने पत्रांक 5849 दिनांक 03.01.2019 के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,5/1 5/5 के अधिवक्ता ने भी तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने में सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज जिसका विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने में वादीगण ने सहमति जाहिर की गई तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ती प्राप्त नही हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 457 सन 2018 निर्णय दिनांक–

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रामजीलाल राजाराम रामप्रताप चेतराम पि0 रामेश्वर उर्फ अमरसिह जाति जाट साकिन सोती पडिहारी खातेदार रहन –राजाराम हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर रोही मौजा चक 14 बारानी के म0न0 326/438(102) किला न0 21 ,22/0.506 ,म0न0 325/438(103) किला न0 22 ता 25/1.0120हैक्ट म0न0 325/439(112) किला न0 2 ता 9/2.040हैक्ट , 12 ता 19/2.0240हैक्ट म0न0 326/439(113) किला न0 1 ,2/0.506हैक्ट , 9 ता 12/2.0240हैक्ट 19 ,20/0.506हैक्ट कुल 7.590हैक्ट बारानी प्रथम भूमि रहेगी एवं गुरमुखसिह पुत्र चन्द्रसिह , आत्मासिह , परमात्मासिह , कमेरसिह पि0 गुरमुखसिह , आत्माराम पुत्र सुन्दरसिह जाति जटसिख निवासी गुरनखुर्द खातेदार रोही मौजा चक 14 बारानी के म0न0 329/437(92) के किला न0 5 ता 20 की 4.0480हैक्ट 24 ,25/0.506हैक्ट कुल 4.5540हैक्ट बारानी प्रथम भूमि रहेगीमृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसान के नाम उनके हक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर